न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम. शर्मा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3573/2018/सिंगरौली/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 31-05-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1427/अपील/2017-18.

---

1. अम्बिका प्रसाद नाई पुत्र श्री लक्ष्मीनाथ नाई
2. रामकिशन नाई पुत्र लक्ष्मीनाथ नाई
3. रामजी नाई पुत्र लक्ष्मीनाथ नाई

निवासीगण – ग्राम हिर्रवाह, तह. व
जिला सिंगरौली (म.प्र.) .....आवेदकगण

विरूद्ध

गुलवसिया पुत्री स्व. श्री रामवरन नाई पत्नी श्री रामधार नाई
निवासी - ग्राम हिर्रवाह, तह. व जिला सिंगरौली (म.प्र.) .....अनावेदक

श्री व्ही.के.शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री पी.के.तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20-5-19 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 31-05-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार सिंगरौली वृत्त सासन के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 03-04-18 द्वारा वारिसाना नामांतरण आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदिका द्वारा उपखंड अधिकारी सिंगरौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 22-

05-18 को तहसील न्यायालय का आदेश अपास्त कर अनावेदिका के नाम वारिसाना नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया गया । उपखण्ड अधिकारी के उक्त् आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31-05-18 को आदेश पारित कर उपखण्ड अधिकारी का आदेश सही मानते हुए प्रस्तुत अपील ग्राह्यता के बिन्दू पर ही खारिज की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अनावेदिका द्वारा मुख्यत: अधीनस्थ न्यायालय में यह आपत्ति की गई है कि, मृतक रामवरन नाई द्वारा अपने जीवनकाल में हीं दिनांक 17-07-2007 को आवेदकगण के हित में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 14-03-1999 को निरस्त किया गया है, जिसे नोटरी से तस्दीक किया गया है । जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि यह दस्तावेज अनावेदिका द्वारा कूटरचित कर रामवरन के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रामवरनकी मृत्यु के बाद ही मृत्यु से लगभग एक माह पूर्व का बनाया गया है, जबकि रामवरनद्वारा आवेदकगण के हित में पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 14-03-1999 को पंजीयन कार्यालय विधिवत रजिस्टर्ड कराया गया था और उसमें उल्लेख किया गया था कि, यह वसीयतनामा मृतक का प्रथम व अंतिम वसीयतनामा हैं । यदि उक्त वसीयतनामा को निरस्त कराता तो इतनी लम्बी अवधि पश्चात क्या विशेष कारण उत्पन्न हुए थे, उल्लेख नहीं किया गया है तथा पंजीकृत दस्तावेज को पंजीयन दस्तावेज को पंजीयन कार्यालय में ही निरस्ती हेतु सम्पादित कराना चाहिये था जो नहीं कराया गया है ।

उनके द्वारा यह आधार भी रखा गया कि आवेदकगण का मृतक रामवरन के जीवनकाल से हीं विवादित भूमि पर कब्जा होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, तथा वर्तमान में भी आवेदकगण का हीं कब्जा होकर कृषि कार्य कर रहे हैं । जबकि अनावेदिका अपनी ससुराल ग्राम पिपरा में हीं अपने पति व बच्चों के साथ निवास कर रहीं हैं, उसका कभी-भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रहा है ।

चूंकि विवादित कृषि भूमि आवेदकगण एवं उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है, यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा गया तो आवदेकगण एवं उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन हीं समाप्त

हो जायेगा । आवेदकगण की इन गम्भीर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण का अवलोकन किया। मृतक भूमि-स्वामी ने आवेदकगण के नाम रजिस्टर्ड वसीयतनामा संपादित किया। उक्त वसीयतनामा का पूर्ण परीक्षण कर तथा साक्षियों के साक्ष्य का पूर्ण परीक्षण कर तहसीलदार ने आवेदकगण के नाम नामांतरण किया। उक्त नामांतरण अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर निरस्त किया कि मृतक भूमिस्वामी ने अपने जीवनकाल में ही पूर्व में निष्पादित वसीयतनामा को निरस्त कर दिया था। अनुविभागीय अधिकारी ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी अनावेदक को भूमि प्राप्त करने का पात्र माना। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश मूलतः इस तथ्य पर आधारित है कि आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा संपादित हुआ था तथा उक्त वसीयतनामा को नोटरी-पत्र के द्वारा मृतक ने निरस्त कर दिया था जबकि आवेदकगण का कहना है कि रजिस्टर्ड वसीयतनामा को निरस्त करने संबंधी नोटरी-पत्र अनावेदकण ने स्वयं तैयार किया है तथा मृतक भूमिस्वामी के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गए हैं। आवेदकगण का यह भी कथन है कि जब उनके पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा रजिस्टर्ड कराया गया था तब उसे रद्द करने संबंधी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, क्योंकि उक्त् नोटरी-पत्र फर्जी तौर पर तैयार किया गया। जब अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की अपील अपर आयुक्त के समक्ष की गई तो अपर आयुक्त ने गुण-दोषों पर विस्तृत आदेश पारित न करते हुए एक संक्षिप्त आदेश पारित कर अपील को इस आधार पर अग्राह्य कर दिया कि प्रकरण में ग्राह्यता के पर्याप्त बिन्दु नहीं हैं। उक्त अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी दोनों ने विस्तृत विवेचना करते हुए परस्पर विरोधी आदेश पारित किए हैं। इसलिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी को प्रकरण की गहराई में जाकर गुण-दोषों के आधार पर विस्तृत विवेचना उपरांत समुचित आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसा न करते हुए संक्षिप्त आदेश पारित कर अपील अग्राह्य करने में उनके द्वारा त्रुटि की गई है। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का

अवसर देकर गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण का विधि अनुसार समुचित निराकरण करें।

(बी.एम. शर्मा) 2015

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर